OFFICE OF THE PROJECT DIRECTOR, PWD(PPP), PIU-LAXMANGARH-332311, SIKAR
Chiraniya Villa, NH-52, Kureshifarm ke pass,Laxmangarh (**Email**: piuppplaxmangarh@gamil.com)

No.PIU/PPP/Laxmangarh/Gen/22-23/D-034 Date:16.05.2022

To,

Deputy Conservator of Forest

Forest Division – Sikar Territorial

Sikar (Raj.)

Subject: EDS Reply - Diversion of 84.248 ha (74.598 ha in Nagaur and 9.65 ha in Sikar) of forest land in favour of PWD Rajasthan for development of Tarnau-Deedwana-Luxmangarh-Mukundgarh Section of SH-60, SH-20, SH-83, SH-82A, SH-8, from design chainage from Tarnau to Mukundgarh 39.668 km to 205.300 km in Nagaur and Sikar District, Rajasthan. Online Proposal No. **FP/RJ/ROAD/21211/2016.**

Ref.: Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Integrated Regional Office, A218 & B216, Aranya Bhawan, Jhalana Institutional Area, Jaipur Letter No. 8B/Raj/06/22/2017/FC, dated 08/12/2021.

Dear Sir,

With reference to above mentioned Subject, we have received the EDS Letter regarding Stage-I Clearance Compliance submitted for Diversion of 84.248 ha (74.598 ha in Nagaur and 9.65 ha in Sikar) of forest land in favour of PWD Rajasthan for development of Tarnau-Deedwana-Luxmangarh-Mukundgarh Section of SH-60, SH-20, SH-83, SH-82A, SH-8, from design chainage from Tarnau to Mukundgarh 39.668 km to 205.300 km in Nagaur and Sikar District, Rajasthan.

We are herewith submitting the Point wise compliance of received EDS letter for your reference and further processing please.

Point Wise Compliance Report of Forest Diversion Proposal No.: FP/RJ/ROAD/21211/2016

S. No.	EDS Observation by Forest Department	Reply by User Agency
1.	Transfer and mutation paper along with notification of the non-forest land of CA in Sikar Division shall be uploaded on web-portal.	We hereby undertake that, Non Forest land has been muted in the Favour of State Forest Department. **Mutation Copy Enclosed.** Notification of CA Land is related to Forest Department.
2.	Cost of Penal CA is deposited by User Agency but CA details for the Penal CA is not submitted. The same should be uploaded on the web-Portal.	It is related to Forest Department.
3.	The forwarding letter of compliance report by State Govt. should be uploaded on web-portal.	It is related to Forest Department.

Submitted for second stage clearance please .

(Dinesh Kumar Meena)
Project Director, (PPP) PWD
PIU-Laxmangarh

Copy to Reference and Necessary action:

1. Additional Chief Engineer PPP , PWD ,Rajasthan
2. Dy. Conservator of Forest, Nagaur Territorial, Nagaur.
3. Add. Principal Chief Conservator of Forest Cum Nodal Officer, FCA, Aranya Bhawan Jhalana Institutional Area, Jaipur.

(Dinesh Kumar Meena)
Project Director, (PPP) PWD
PIU-Laxmangarh

लोकल प्रति

No 0152517

(प्रति परत)

जमाबन्दी संशोधन रजिस्टर ग्राम खुड़ी छोटी/खुर्द पटवार हल्का खुड़ी भू. अ. निरीक्षक हल्का रींगस तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राजस्थान

संशोधित की गई खसरा संख्या	जमाबन्दी में खाते की संख्या	खसरा नं.	क्षेत्रफल	मद (भूमि) वर्गीकरण	राजस्व या लगान	विशिष्टियों सहित काश्तकार का नाम	नई खाते की संख्या	विशिष्टियों सहित काश्तकार का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	मद (भूमि) वर्गीकरण	राजस्व या लगान	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	1 आंशिक	155 156 2	5.49 7.57 13.06	गैरमुमकिन पहाड़ -॥- -	- -	सिवाय चक बिना खातेदारी पहाड़	28/20767	वन विभाग शेष खुड़ी छोटी सिवाय चक बिना खातेदारी पहाड़	155/2 156/2 2 155/1 156/1 2	4.00 5.65 9.65 1.49 1.92 3.41	गैरमुमकिन पहाड़ -॥- - गैरमुमकिन पहाड़ -॥-	- - - -	प्रत्यावर्तन श्रीमान जिला कलक्टर सा. सीकर के आदेश क्रमांक राजस्व/17/5616-19 दि. 1-12-17 संयुक्त शासन सचिव राजस्व (ग्रुप-3) विभाग जयपुर के आदेश क्रमांक 6(55) राज-3/17 दि. 13-11-17 के संबंध में	४१/८	महोदयजी, आदेश अनुसार वन भूमि के प्रत्यावर्तन का नामान्तरकरण दर्ज करने बाबत उचित कार्यवाही हेतु पेश है [signature] 5-12-17 भू. अ. निरीक्षक

जांच की गयी।
मुताबिक आदेश श्रीमान जिला कलक्टर महोदय सीकर के क्रमांक: राजस्व/17/5616-19 दिनांक 1/12/17 के अंकन सही है

[signature]
ILR रींगस
5/12/17

नामान्तरकरण स्वीकृत कर ... हेतु निर्देशित ...

[signature]
(राजेश कुमार)
पटवारी
पटवार हल्का
तह. नीमकाथाना (सीकर)

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर,सीकर

क्रमांकः राजस्व/17/5616-19 दिनांक–1/12/17

आदेश

संयुक्त शासन सचिव राजस्व (ग्रुप–3) विभाग राज. जयपुर के आदेश क्रमांक 6 (55) राज3/17 दिनांक 13.11.17 की स्वीकृति के द्वारा तहसील लक्ष्मणगढ़ के ग्राम भूमा छोटा के ख.नं. 200/2 रकबा 4.325 है. ग्राम बीड़ लक्ष्मणगढ़ के ख.नं. 398/1094 रकबा 3.90 है. तथा ग्राम बलारा के ख.नं. 180/1/1 मे से 1.425 है. कुल रकबा 9.65 है. भूमि वन विभाग की भूमि सार्वजनिक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने तथा प्रत्यावर्तन के फलस्वरूप मे राज्य राजमार्ग नागौर तरनाऊ डीडवाना मुकन्दगढ़ सड़क निर्माण मे आ रही वन भूमि के बदले तहसील नीमकाथाना के ग्राम खड़गबीजपुर के ख.नं. 155 के रकबा 5.49 है. किस्म गै.मु. पहाड़ मे से 4.00 है. तथा ख.नं. 156 रकबा 7.57 है. किस्म गै.मु. पहाड़ (सिवायचक) मे से 5.65 है. कुल रकबा 9.65 है. राजस्व भूमि वन विभाग को राज. भू. राजस्व अधिनियम 1956 की द्वारा 102 के तहत प्रत्यावर्तन किये जाने की स्वीकृति प्राप्त हुई है।

राजस्व (ग्रुप–3) विभाग, जयपुर की स्वीकृति के संदर्भ मे तहसील लक्ष्मणगढ़ को ग्राम भूमा छोटा के ख.नं. 200/2 रकबा 4.325 है. ग्राम बीड़ लक्ष्मणगढ़ के ख.नं. 398/1094 रकबा 3.90 है. व ग्राम बलारा के ख.नं. 180/1/1 मे से रकबा 1.425 है. कुल रकबा 9.65 है. भूमि को सिवायचक घोषित की जाती है तथा तहसील नीमकाथाना के ग्राम खड़गबीजपुर के ख.नं. 155 रकबा 5.49 है. किस्म गै.मु. पहाड़ मे से 4.00 है. व ख.नं. 156 रकबा 7.57 है. किस्म गै.मु. पहाड़ (सिवायचक) मे से 5.65 है. कुल रकबा 9.65 है. भूमि को वन भूमि के रूप मे दर्ज कर वन विभाग के नाम करने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

(नरेश कुमार ठकराल)
जिला कलक्टर,सीकर

क्रमांकः राजस्व/17/5616-19 दिनांक– 1/12/17

प्रतिलिपि सूचनार्थ, पालनार्थः–

1. संयुक्त शासन सचिव राजस्व (ग्रुप–3) विभाग, जयपुर।
2. परियोजना निदेशक (PPP) सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
3. उपवन संरक्षक, सीकर।
4. तहसीलदार लक्ष्मणगढ़/नीमकाथाना को भेजकर लेख है कि उक्त वर्णित भूमि का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे।
5. रक्षित पत्रावलि।

प्रभारी अधिकारी
राजस्व शाखा कलेक्ट्रेट,सीकर

D:\Revenue cell\vividh.doc

Scanned with CamScanner

राजस्थान–सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर,सीकर (राज0)

क्रमांक :– राजस्व/2017/5610 दिनांक :– 1/12/17

तहसीलदार,
फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, दांतारामगढ़, सीकर, श्रीमाधोपुर, नीमकाथाना।

विषयः– वन भूमि को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने बाबत्।

प्रसंगः– अति. संभागीय आयुक्त जयपुर के पत्रांकः 1599–1609 दिनांक 28.11.17।

उपरोक्त विषयक प्रासांगिक पत्र के संदर्भ में लेख है कि राज्य की सभी प्रकार की वन भूमि को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही को अभियान के तौर पर पूर्ण कराने हेतु संभाग स्तर पर गठित कमेटी की बैठक संभागीय आयुक्त महोदय जयपुर की अध्यक्षता मे दिनांक 04.12.17 को सायं 4.00 बजे संभागीय आयुक्त कार्यालय मे आयोजित की गई है।

अतः लेख है कि आप अपने क्षेत्र की वन भूमि जो राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद से अवशेष है को अमलदरामद करवाकर मय रिपोर्ट ~~[illegible]~~ आज ही के कार्यालय मे उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

संलग्न : –

अपर जिला कलक्टर,
प्रभारी अधिकारी,राजस्व शाखा,
कलेक्ट्रेट,सीकर

D:\Revunue cell\vividh.doc

Scanned with CamScanner

दिनांक 22.09.2017 को वन भूमि का राजस्व अभिलेखों में अमल के संबंध में आयोजित राजस्व अधिकारियों की बैठक का कार्यवाही विवरण:–

दिनांक 22.09.2017 को 11.00 ए.एम. पर श्रीमान जिला कलक्टर महोदय सीकर की अध्यक्षता में राजस्व अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। जिसमें निम्नलिखित अधिकारीगण उपस्थित हुये:–

1. श्री जय प्रकाश, अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर।
2. जूही भार्गव, उप खण्ड अधिकारी, सीकर।
3. श्री जे.पी. गोड, उप खण्ड अधिकारी, नीमकाथाना।
4. श्री भागीरथ साख, उप खण्ड अधिकारी, खण्डेला।
5. श्री ब्रह्म लाल, उप खण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर।
6. भावना गर्ग, उप खण्ड अधिकारी, धोद।
7. श्री देविका तोमर, उप खण्ड अधिकारी, फतेहपुर।
8. श्री सत्यवीर यादव, उप खण्ड अधिकारी, दांता।
9. श्री अनिल चौधरी, उप खण्ड अधिकारी, लक्ष्मणगढ।
10. श्री जगदेव कुमार शर्मा, तहसीलदार, सीकर।
11. सुमन चौधरी, तहसीलदार, श्रीमाधोपुर।
12. सरिता, तहसीलदार, फतेहपुर।
13. सीमा खेतान, तहसीलदार, दांतारामगढ।
14. श्री संजय कुमार, तहसीलदार, खण्डेला।
15. श्री मंगल चन्द सैनी, तहसीलदार, धोद।
16. श्री मनीराम खीचड़, नायब तहसीलदार, नीमकाथाना।
17. श्री गोविन्द राम बगडिया, नायब तहसीलदार, लोसल।
18. श्री सत्यवीर सिंह, नायब तहसीलदार, पाटन।
19. श्री महिपाल सिंह राजावत, नायब तहसीलदार, पलसाना।
20. श्री रामेश्वर लाल, नायब तहसीलदार, लक्ष्मणगढ।

सर्वप्रथम आगन्तुक अधिकारियों का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। बैठक में बिन्दुवार निम्नानुसार समीक्षा की गई:–

1. वन भूमि का राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद :– वन मण्डल सीकर अधीन कुल 63951.922 है0 वन भूमि है। जिसमें से 62444.892 है0 वन भूमि का अमलदरामद राजस्व अभिलेखों में वन विभाग के नाम हो चुका है तथा 1502.03 है0 वन भूमि अमलदरामद से अवशेष है। अमलदरामद से अवशेष भूमि तहसीलवार निम्नानुसार है:–

क्र. सं.	नाम तहसील	अमलदरामद से अवशेष वन भूमि (है0 में)	वि.वि.
1	फतेहपुर	116.43	
2	लक्ष्मणगढ	6.99	
3	दांतारामगढ	270.50	
4	सीकर	188.52	
5	श्रीमाधोपुर	195.09	
6	नीमकाथाना	724.50	
	योग	1502.03	

Scanned with CamScanner

राजस्थान सरकार

कार्यालय उप वन संरक्षक, नागौर

स्टेडियम के पास, नागौर, फोन : 01582–241046, फैक्स : 01582–246175, ईमेल : dcf.ngr. forest @ rajasthan. gov. in

क्रमांक : एफ ( )तक / उवसं / 2016–17 / 5278 दिनांक : 5/12/17

निमित्त :

मुख्य वन संरक्षक,
अजमेर

विषय : **Diversion of 74.598 ha. Foret land for dovelopment of Tarnau-didwana-laxmangarh-mukundgarh road section of SH-60 from km 39.668 to km 205.300 district Nagaur (Raj.)**

संदर्भ : **पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) का पत्रांक 574 दिनांक 06.11.2017**

महोदय,

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा राज्य सरकार ने तरनाऊ से मुकुन्दगढ़ सड़क के चौडाईकरण हेतु 74.598 हैक्टर वन भूमि के प्रत्यावर्तन की सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की है। इस सैद्धांतिक स्वीकृति में दी गई शर्तों की पैरा वाइज पालना रिर्पोट निम्नानुसार है :–

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति का कोई परिवर्तन नहीं होगा, इस आशय की वचन पत्र बद्धता यूजर ऐजेन्सी से प्राप्त कर लिया गया है। (प्रति संलग्न है।)
2. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग के पक्ष में क्षतिपूरक वृक्षारोपण वन क्षेत्र के दुगुने अवनत वनभूमि एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि रूपये 1,92,46,284 /– ई चालान पद्धति द्वारा जमा करा ली गई है।(चालान की प्रति संलग्न)
3. इस कार्यालय से अपेक्षित नहीं है।
4. प्रत्यावर्तित वन भूमि 74.598 हैक्टर का शुद्ध वर्तमान मुल्य राशि रूपये 3,26,73,924 /– ई चालाना पद्धति द्वारा जमा करा ली गई है।(चालान कि प्रति संलग्न)
   यूजर ऐजेन्सी द्वारा ई चालान पद्धति द्वारा जमा कुल राशि 5,19,20,208 /– के चालान की प्रतिलिपि संलग्न है।
5. यूजर ऐजेन्सी द्वारा इस आशय का वचन बद्ध प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है कि यदि भविष्य में एन.पी.वी. राशि की दर में काई बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि सार्वजनिक निमार्ण विभाग(प्रयोक्ता अभिकरण) द्वारा जमा की जावेगी।(प्रति संलग्न है।)
6. इस आशय का वचन बद्धता पत्र यूजर ऐजेन्सी से प्राप्त कर लिया गया है। (प्रति संलग्न है।)
7. माननीय एन.जी.टी. द्वारा जारी आदेश की अनुपालना प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर करवाये जाने के लिये प्रयोक्ता अभिकरण वचन बद्ध है।, इस आशय का वचनबद्धता पत्र यूजर ऐजेन्सी से प्राप्त कर लिया गया है। (प्रति संलग्न है।)
8. प्रयोक्ता अभिकरणा द्वारा मक डिस्पोजल योजना स्वीकृति हेतु संलग्न है। (प्रति संलग्न है।)

9. प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य मे योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों की पालना के लिए वचन बद्ध है। इस आशय का वचन बद्धता पत्र प्राप्त कर लिया गया है। (प्रति संलग्न है।)

संलग्नः— उपरोक्तानुसार

भवदीय

(वेद प्रकाश गुर्जर)
उप वन संरक्षक
नागौर

क्रमांक : समसंख्यांक / दिनांक :

प्रतिलिपीः अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी, एफसीए, राजस्थान, जयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(वेद प्रकाश गुर्जर)
उप वन संरक्षक
नागौर

Proforma

1	Name of Regional Office	Central Region Lucknow
2	State /Distt / forest Division to which the proposal relates	Rajasthan / Nagaur / Nagaur
3	Name of User agency, nature of proposal	PWD Raj Jaipur
4	Extent of Forest area involved	74.598 ha.
5	Whether original or extension	Original
6	If extension of lease, please clarify if proposal involves additional forest area and if so, specify	N.A.
7	Date fo 1st stage clearance	6.11.2017
8	Extent of CAMPA charges, head wise viz. : (a) Compensatory Afforestation;	₹ 19246284
	(b) Additional CA :	—
	© Penal CA :	—
	(d) Catchment Area Treatment	—
	(e) Wild life Management Plan :	—
	(f) Additional charges for diversion of area falling under notified/protected areas:	—
	(g) Net Present Value :	₹ 32673924
	(h) Any other charges Levies (please specify)	—
9	Detail of Bank Draft (Bank,Draft No. Date & Amount), head wise against items indicated in paragraph 9 above	SBI Jaipur PWD Complex 681615 28.11.2017, ₹ 59456858 Nagaur - 51920208, Sikar 7536650
10	Wheather deposited by RTGS, if so,the particulars & date of remittance :	—
11	Bank Corporation Bank, Lodhi Complex/union Bank of India, Sunder Nagar in which deposited, with date fo deposition	Corporation Bank FCS Bangalore
12	Any other remarks	

[signature]

DCF NAGAUR

<u>कार्यालय परियोजना निदेशक–II (पीपीपी) जयपुर पी.डब्ल्यू.डी. राजस्थान</u>

क्रमांक :Tarnau-Mukundgarh/Forest/PDII/D-63 दिनांक : 30.11.2017

श्रीमान् वेद प्रकाश ,
उपवन संरक्षक, नागौर,
स्टेडीयम के पास नागौर।

विषय :– Diversion of 84.248 Ha. (74.598 ha. N Nagaur and 9.65 ha. in Sikar) of forest land in favour of PWD Rajasthan Jaipur for development of Tarnau-Deedwana-Laxmangarh-Mukundgarh Section of SH 60, SH-20, SH-83, SH-82A, SH-8 from desing chainage from Tarnau to Mukundgarh 39.668 Km. to 205.300 Km. in Nagaur and Sikar District (Rajasthan) Online Proposal No. FP/RAJ/OTHER/21211/2016 **(नागौर, में डायर्वटेड वन भूमि में पेड़ काटने व कार्य शुरू करने की अनुमति हेतु)**

संदर्भ :– (i) आपके कार्यालय का पत्रांक– 4874 दिनांक 15.11.2017 (नागौर में 74.598 है0 वन भूमि का डायवर्जन)

(ii) क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार का सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र पत्रांक– 8बी/राज./06/22/2017/एफ.सी./574 दिनांक 06.11.2017

महोदय,

उपरोक्त संदर्भ में बिन्दु वार अनुपालना/वचन बद्धता प्रस्तुत हैं

क्रं. सं.	शर्त	अनुपालना
1	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही होगा।	वनभूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही होगा।
2	जनपद नागौर के अन्तर्गत प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के अन्तर्गत प्रभावित वन क्षेत्र के दुगुने अवनत वनभूमि पर अर्थात् 149.196 है0 (74.598x2=149.196) है0 पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के अन्तर्गत प्रभावित वन क्षेत्र के दुगुने अवनत वनभूमि पर अर्थात् 115. 556 है0 (74.598x2=149.196) है0 पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि रूपये 1,92,46,284, कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की करा दी गई है। डी.डी. नं. 681615 एस.बी.आई. दिनांक 28.11.2017 कुल रू. 59456858/–

(वेद प्रकाश गुर्जर)
उप वन संरक्षक
नागौर

(Sangeeta Sharma)
Project Director-II (PPP)
PWD, Rajasthan, Jaipur

3	जनपद सीकर के अन्तर्गत प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वनभूमि अर्थात् 9.65 है0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जाएगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर की है। इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा तथा इस भूमि को छः माह में आरक्षित / संरक्षित वन भूमि घोषित किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् इस कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	जनपद सीकर के अन्तर्गत प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वनविभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वनभूमि अर्थात् 9.65 है0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि रूपये 14,95,750 (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथा संशोधित) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा करा दी गई है। डी.डी. नं. 681615 एस.बी.आई. दिनांक 28.11.2017 कुल रू. 59456858 / – इसे वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण कर दिया जायेगा ।
4	एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3 / 2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत् मे दिये गये आदेशानुसार शुद्ध मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) कैम्पा नई दिल्ली में जमा की जाएगी। इसके उपरांत ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से जमा की गयी धनराशि की ऑनलाईन ई–रसीद की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन संख्या आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात क्षतिपूरक वृक्षारोपण, एन0पी0वी0 हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।	भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3 / 2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत् मे दिये गये आदेशानुसार शुद्ध मूल्य (एन. पी.वी.) की निर्धारित राशि रूपये 32673924 कैम्पा नई दिल्ली में जमा कर दी गई है। डी. डी. नं. 681615 एस.बी.आई. दिनांक 28.11.2017 कुल रू. 59456858 / – A) कुल जमा की गई राशि का विवरण निम्न प्रकार है– नागौर के संदर्भ में जमा राशि क्षतिपूरक वृक्षारोपण = रू. 1,92,46,284 / – एन.पी.वी. की राशि = रू. 3,26,73,924 / – कुल राशि डी.सी.एफ. नागौर के संदर्भ में = रू. 5,19,20,208 / – (B) सीकर के संदर्भ में जमा राशि क्षतिपूरक वृक्षारोपण = रू. 14,95,750 / – एन.पी.वी. की राशि = रू. 60,40,900 / – कुल राशि डी.सी.एफ. सीकर के संदर्भ में = रू. 75,36,650 / – **अतः कुल राशि कैम्पा में जमा** = रू. 5,19,20,208 + रू. 75,36,650 = रू. **5,94,56,858 / –** डी.डी. नं. 681615 एस.बी.आई. दिनांक 28.11. 2017 कुल रू. 59456858 / –
5	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की धनराशि में बढोतरी होती है तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।	यदि भविष्य में एन. पी. वी. राशि की दर में कोई बढोतरी होती है तो बढी हुई दर में वांछित धनराशि जमा करने के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता अभिकरण) वचन बद्ध है।

(वेद प्रकाश गुर्जर)
उप वन संरक्षक
नागौर

(Sangeeta Sharma)
Project Director-II (PPP)
PWD, Rajasthan, Jaipur

6	विधिवत स्वीकृति के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र की सीमा स्तम्भों द्वारा सीमाकंन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जाएगा। यह सीमांकन 4" फीट ऊंचे आर.सी.सी. पीलरो से किया जाएगा। जिसमें प्रत्येक पीलर पर क्रमांक डी.जी.पी.एस. निर्देशाक, Backward and Forward bearing एवं अपने निकटवर्ती पीलरों से दूरी दर्शायी जाएगी।	विधिवत स्वीकृति के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र की सीमा स्तम्भों द्वारा सीमाकंन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जाएगा। यह सीमांकन 4 फीट ऊंचे आर.सी.सी. पीलरों से किया जाएगा। जिसमें प्रत्येक पीलर पर क्रमांक डी.जी.पी.एस. निर्देशाक, Backward and Forward bearing एवं अपने निकटवर्ती पीलरों से दूरी दर्शायी जाएगी।
7	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेंगे कि आई0आर0सी0 के मानकों के अनुरूप तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) सैन्ट्रल जोन बेंच, भोपाल द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 27/2015 बाबूलाल जाजू बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक 16.11.2015 में दिये गये आदेश की अनुपालना मे प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर वन विभाग की निगरानी में सड़क के दोनों तरफ तथा Median पर (यदि उपलब्ध है तो) वृक्षारोपण किया जाएगा।	माननीय NGT द्वारा जारी आदेश की अनुपालना प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर करवाये जाने के लिये प्रयोक्ता अभिकरण वचन बद्ध है।
8	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना स्वीकृति हेतु संलग्नहै।
9	प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य मे योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान तथा भविष्य में योजना पर लागु सभी नियम कानुन तथा दिशा निर्देशो का पालन के लिए वचन बद्ध है ।

अतः अनुरोध है कि प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ काटने के पश्चात् भण्डारण हेतु डिपो व कार्य शुरू करने की अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें। जिससे परियोजना के कार्य को पूर्ण किया जा सके।

भवदीय

(संगीता शर्मा)
परियोजना निदेशक–II (पीपीपी)
जयपुर पी.डब्ल्यू.डी. राजस्थान

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अतिरिक्त वनमहानिदेशक एफ.सी. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नई दिल्ली – 110003.
2. निदेशक (आर.ओ.एच.क्यू.), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड नयी दिल्ली–110003.
3. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, (वन संरक्षण), वन विभाग, अरण्य भवन, झालना इंस्टीट्यूशनल एरिया, जयपुर राजस्थान।
4. अधीक्षण अभियंता एवं परियोजना निदेशक (पी.पी.पी.) लक्ष्मणगढ लोक निर्माण विभाग, जयपुर राजस्थान।
5. उप वन संरक्षक, नागौर, राजस्थान।
6. तकनीकी अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाईट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित ।

(संगीता शर्मा)
परियोजना निदेशक–II (पीपीपी)
जयपुर पी.डब्ल्यू.डी. राजस्थान

(वेद प्रकाश गुर्जर)
उप वन संरक्षक
नागौर

(Sangeeta Sharma)
Project Director-II (PPP)
PWD, Rajasthan, Jaipur

4

Project Name: -Development of Tarnau-Deedwana-Laxmangarh-Mukundgarh section SH-60,SH-20,SH-82A & SH-8 from design chainage km 39.668 to km 205.300 of SH-60 in the state of Rajasthan in Nagaur

MUCK MANAGEMENT PLAN

Although in this project no muck shall generated but earthwork in excavation for drain and structure may contain some organic soil which cannot be reutilized completely therefore that needs to be disposed off properly.

As per the existing proposal for the construction of Tarnau-Deedwana-Laxmangarh-Mukundgarh road project about 62999 m^3 of muck shall be generated. The total quantity of muck to be generated considering 40% swelling factor is m^3. The quantity of material to be used in construction or protection works is 88198 m^3. Hence the balance quantity of muck to be disposed off shall be about 5514 m^3 only. The details are as per Table-1 below.

TABLE-1

Details of muck generation, utilization and disposal

S.No.	Name of Component	Qty. Of muck debris generated considering 40% as swelling	Qty. to be used as backfill (m^3)	Qty. to be used in construction or protection works (m^3)	Qty. of Muck for disposal (m^3)
1	Culverts	4229	-	2326	1903
2	Major Bridges/Minor Bridges	-	-	-	-
3	Protection & Drain Works	12648	-	9037	3611
4	Roadway Excavation	71321	-	71321	-
	Total	88198	-	82684	5514

(वेद प्रकाश गुर्जर)
उप वन संरक्षक
नागौर

10

(Sangeeta Sharma)
Project Director-II (PPP)
PWD, Rajasthan, Jaipur

भारतीय स्टेट बैंक
State Bank of India

जारी करने वाली शाखा
Issuing Branch: JAIPUR PWD COMPLEX
कोड क्र /CODE No: 31820
Tel No. 01410-222194

MANIPAL TECHNOLOGIES LIMITED, KARNATAKA / CTS-2010

बैंकर्स चैक
BANKERS CHEQUE

Key: PAMGAP
Sr. No: 173779

2 8 1 1 2 0 1 7
D D M M Y Y Y Y

PAY CORPORATION BANK F G S BANGALORE************************** को या उनके आदेश पर OR ORDER

रुपये RUPEES Five Crore Ninety Four Lakh Fifty Six Thousand Eight Hundred and Fifty Eight Only

अदा करें ₹ 59456858.00

IOI 000497681615 Key: PAMGAP Sr. No: 173779 AMOUNT BELOW 59456859(5/8)

6963188
प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
AUTHORISED SIGNATORY

कृते भारतीय स्टेट बैंक
For STATE BANK OF INDIA
2432
शाखा प्रबंधक
BRANCH MANAGER

Y9 8 7 6 5 4 3 2 1

कम्प्यूटर द्वारा मुद्रित होने पर ही वैध
VALID ONLY IF COMPUTER PRINTED

केवल 3 महीने के लिए वैध
VALID FOR 3 MONTHS ONLY

अहस्तांतरणीय / NOT TRANSFERABLE

₹ 1,50,000/- एवं अधिक के लिखत दो अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित होने पर ही वैध है।
INSTRUMENTS FOR ₹ 1,50,000/- & ABOVE ARE NOT VALID UNLESS SIGNED BY TWO OFFICERS

⑈681615⑈ 000002000⑆ 000497⑈ 16

(वेद प्रकाश गुर्जर)
उप वन संरक्षक
नागौर

(Sangeeta Sharma)
Project Director-II
PWD, Rajasthan, Jaipur

9

AGENCY COPY

कार्पोरेशन बैंक Corporation Bank
A Premier Public Sector Bank

Challan for collection of Ad-hoc CAMPA fund

Date : 16-11-2017

Client Code.	CAM5085
Location.	RAJASTHAN
Remitter Name.	PWD JAIPUR
PIF/Application No.	6121211176
Address.	Jakob Road-1, Civil lines, Jaipur Jaipur
Remitter Contact No. Email-Id. Mobile No. Landline No.	pd2pppjaipur@gmail.com 8696666778 141-5110547
Amount(in Rs)	59456858/-
Beneficiary Branch and Code.	FCS Branch (0633)

Amount in Words:Five Crore Ninety-Four Lakh Fifty-Six Thousand Eight Hundred and Fifty-Eight Rupees Only

Depositor Signature (Signature)

Bank Official (Signature)

Bank's Transaction Number	Branch Stamp

- Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction
- Challan should only be accepted against INST/DD.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2

CAMPA-MOEF Copy

कार्पोरेशन बैंक Corporation Bank
A Premier Public Sector Bank

Challan for collection of Ad-hoc CAMPA fund

Date : 16-11-2017

Client Code.	CAM5085
Location.	RAJASTHAN
Remitter Name.	PWD JAIPUR
PIF/Application No.	6121211176
Address.	Jakob Road-1, Civil lines, JaipurJaipur
Remitter Contact No. Email-Id. Mobile No. Landline No.	pd2pppjaipur@gmail.com 8696666778 141-5110547
Amount(in Rs)	59456858/-
Beneficiary Branch and Code.	FCS Branch (0633)

Amount in Words :Five Crore Ninety-Four Lakh Fifty-Six Thousand Eight Hundred and Fifty-Eight Rupees Only

Depositor Signature (Signature)

Bank Official (Signature)

Bank's Transaction Number	Branch Stamp

- Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction.
- Challan should only be accepted against INST/DD.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2

BANK COPY

कार्पोरेशन बैंक Corporation Bank
A Premier Public Sector Bank

Challan for collection of Ad-hoc CAMPA fund

Date : 16-11-2017

Client Code.	CAM5085
Location.	RAJASTHAN
Remitter Name.	PWD JAIPUR
PIF/Application No.	6121211176
Address.	Jakob Road-1, Civil lines, JaipurJaipur
Remitter Contact No. Email-Id. Mobile No. Landline No.	pd2pppjaipur@gmail.com 8696666778 141-5110547
Amount(in Rs)	59456858/-
Beneficiary Branch and Code.	FCS Branch (0633)

Amount in Words : Five Crore Ninety-Four Lakh Fifty-Six Thousand Eight Hundred and Fifty-Eight Rupees Only

Depositor Signature (Signature)

Bank Official (Signature)

Bank's Transaction Number	Branch Stamp

- Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction.
- Challan should only be accepted against INST/DD.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

(बी.प्रकाश गुर्जर)
उप वन संरक्षक
नागौर

5

Project Name: -Development of Tarnau-Deedwana-Laxmangarh-Mukundgarh section SH-60,SH-20,SH-82A & SH-8 from design chainage km 39.668 to km 205.300 of SH-60 in the state of Rajasthan

Normally, muck is disposed in low-lying areas or depressions. However, we have identified following low lying two areas of 1.40 ha for disposal of muck. The details are asper Table-2 below.

TABLE-2

Details of muck disposal site

Component	Village	Govt. / Private land (ha)	TotalLand(ha)
Muck disposal Site M-1	Deedwana	1.40	1.40
	Total	**1.40**	**1.40**

The dumping of muck will be done in such a manner that muck will not flow and washed away in the river.

BUDGET

The Concessionaire will transport & dump the muck at their own cost.

UNDERTAKING

We undertake that

1. Muck management plan shall be implemented by user agency.
2. The proposed dumping site is located away from river / stream / nalah.
3. Dumping site is not located in forest area.

Enclosed : Muck Disposal Plan

(Sangeeta Sharma)
Project Director-II (PPP)
PWD, Rajasthan, Jaipur

For Nagaur Mukundgarh Highways Private Limited

Authorised Signatory

(वेद प्रकाश गुर्जर)
उप वन संरक्षक
नागौर

11

OFFICE OF PROJECT DIRECTOR II PPP JAIPUR , PWD Rajasthan
(Email : pd2pppjaipur@gmail.com,pdtwopppjaipur@gmail.com Mob. 8696666778)

No. PDII /PPP Tarnau Mukundgarh/ /Forest//D- 62 Date: 30.11.17

The Additional PCCF,(FCA)
Dept. of Forest Rajasthan,
Jaipur (Raj.)

Sub. : Diversion of 84.248 ha. (74.598 in Nagaur and 9.65 ha in Sikar) of forest land in favour of PWD Rajasthan , Jaipur for development of Tarnau- Deedwana- Laxmangarh-Mukundgarh section of SH 60, SH-20, SH-83, SH-82A, SH-8 from design chainage from Tarnau to Mukundgarh 39.668 km to 205.300 km in Nagaur and Sikar district (Rajasthan) Proposal no.FP/RJ/Road /21211/2016

Ref. : 1. MoEF letter No. 8B/Raj/06/22/2017/FC-574 Dt. 06.11.2017
2. MoEF Guideline for grant of permission of felling of tree standing on diverted forest land issued vide FNo. 11-306/2014-FC Dt. 15.01.2015
3. MoEF Guideline for grant of permission of felling of tree standing on diverted forest land issued vide FNo. 11-306/2014-FC Dt. 08.08.2014
4. DFC, Nagaur letter No. 4874 Dt. 15.11.2017
5. DFC, Sikar letter No. 18594 Dt. 13.11.2017

Dear sir,

With reference to above cited subject and reference, it is submitted that in principal approval for diversion of 84.248 ha forest land under FC Act, 1980 was accorded byMoEFRegional Centre (Central Region) vide above reference at Sr. No. 1.

Subsequently demand raised by DCF Nagaur and Sikar detailed as under has been deposited by us in CAMPA :

S. No.	Details of demand					Ref. Deposited by PWD	
	Raised by	Ref.	CA	NPV	Total	Ref.	Date
1	DCF Nagaur	4874 Dt. 15.11.2017	1,92,46,284	3,26,73,924	5,19,20,208	DD no. 681615 of SBI forRs.59456858/-	28.11.2017
2	DCF Sikar	18594 Dt. 13.11.2017	14,95,750	60,40,900	75,36,650		

As we have deposited requisite fund in CAMPA, therefore, it is requested to grant us permission to start Construction Work and identification of Depot for trees to be cut in the diverted area in the light of MoEF guidelines, referred at Sr. No. 2 above.

Regards

Sangeeta Sharma
PD II PPP Jaipur
PWD Rajasthan.

Copy to :
(i) Superintending Engineer & PD PPP Laxmangarh
(ii)DCF Nagaur,Nagaur
(iii)DCF Sikar,Sikar

कार्यालय परियोजना निदेशक–II (पीपीपी) जयपुर पी.डब्ल्यू.डी. राजस्थान

क्रमांक :Tarnau-Mukundgarh/Forest/PDII/D-63 दिनांक : 30.11.2017

श्रीमान् वेद प्रकाश ,
उपवन संरक्षक, नागौर,
स्टेडीयम के पास नागौर।

विषय :– Diversion of 84.248 Ha. (74.598 ha. N Nagaur and 9.65 ha. in Sikar) of forest land in favour of PWD Rajasthan Jaipur for development of Tarnau-Deedwana-Laxmangarh-Mukundgarh Section of SH 60, SH-20, SH-83, SH-82A, SH-8 from desing chainage from Tarnau to Mukundgarh 39.668 Km. to 205.300 Km. in Nagaur and Sikar District (Rajasthan) Online Proposal No. FP/RAJ/OTHER/21211/2016 (**नागौर, में डायर्वटेड वन भूमि में पेड़ काटने व कार्य शुरू करने की अनुमति हेतु**)

संदर्भ :– (i) आपके कार्यालय का पत्रांक– 4874 दिनांक 15.11.2017 (नागौर में 74.598 है0 वन भूमि का डायवर्जन)

(ii) क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार का सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र पत्रांक– 8बी/राज./06/22/2017/एफ.सी./574 दिनांक 06.11.2017

महोदय,

उपरोक्त संदर्भ में बिन्दु वार अनुपालना/वचन बद्धता प्रस्तुत हैं

क्रं. सं.	शर्त	अनुपालना
1	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही होगा।	वनभूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही होगा।
2	जनपद नागौर के अन्तर्गत प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के अन्तर्गत प्रभावित वन क्षेत्र के दुगुने अवनत वनभूमि पर अर्थात् 149.196 है0 (74.598x2=149.196) है0 पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के अन्तर्गत प्रभावित वन क्षेत्र के दुगुने अवनत वनभूमि पर अर्थात् 115. 556 है0 (74.598x2=149.196) है0 पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि रूपये 1,92,46,284, कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की करा दी गई है। डी.डी. नं. 681615 एस.बी.आई. दिनांक 28.11.2017 कुल रू. 59456858/–

3	जनपद सीकर के अन्तर्गत प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वनभूमि अर्थात् 9.65 है0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जाएगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर की है। इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा तथा इस भूमि को छः माह में आरक्षित/संरक्षित वन भूमि घोषित किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् इस कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	जनपद सीकर के अन्तर्गत प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वनविभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वनभूमि अर्थात् 9.65 है0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि रूपये 14,95,750 (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथा संशोधित) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा करा दी गई है। डी.डी. नं. 681615 एस.बी.आई. दिनांक 28.11.2017 कुल रू. 59456858/- इसे वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण कर दिया जायेगा ।
4	एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत् मे दिये गये आदेशानुसार शुद्ध मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) कैम्पा नई दिल्ली में जमा की जाएगी। इसके उपरांत ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से जमा की गयी धनराशि की ऑनलाईन ई-रसीद की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन संख्या आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात क्षतिपूरक वृक्षारोपण, एन0पी0वी0 हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।	भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत् मे दिये गये आदेशानुसार शुद्ध मूल्य (एन. पी.वी.) की निर्धारित राशि रूपये 32673924 कैम्पा नई दिल्ली में जमा कर दी गई है। डी. डी. नं. 681615 एस.बी.आई. दिनांक 28.11.2017 कुल रू. 59456858/- A) कुल जमा की गई राशि का विवरण निम्न प्रकार है- नागौर के संदर्भ में जमा राशि क्षतिपूरक वृक्षारोपण = रू. 1,92,46,284/- एन.पी.वी. की राशि = रू. 3,26,73,924/- कुल राशि डी.सी.एफ. नागौर के संदर्भ में = रू. 5,19,20,208/- (B) सीकर के संदर्भ में जमा राशि क्षतिपूरक वृक्षारोपण = रू. 14,95,750/- एन.पी.वी. की राशि = रू. 60,40,900/- कुल राशि डी.सी.एफ. सीकर के संदर्भ में = रू. 75,36,650/- **अतः कुल राशि कैम्पा में जमा** = रू. 5,19,20,208 + रू. 75,36,650 = रू. **5,94,56,858/-** डी.डी. नं. 681615 एस.बी.आई. दिनांक 28.11. 2017 कुल रू. 59456858/-
5	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की धनराशि में बढ़ोतरी होती है तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।	यदि भविष्य में एन. पी. वी. राशि की दर में कोई बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई दर में वांछित धनराशि जमा करने के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता अभिकरण) वचन बद्ध है।

6	विधिवत स्वीकृति के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र की सीमा स्तम्भों द्वारा सीमाकंन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जाएगा। यह सीमांकन 4'' फीट ऊंचे आर.सी.सी. पीलरी से किया जाएगा। जिसमें प्रत्येक पीलर पर क्रमांक डी.जी.पी.एस. निर्देशाक, Backward and Forward bearing एवं अपने निकटवर्ती पीलरों से दूरी दर्शायी जाएगी।	विधिवत स्वीकृति के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र की सीमा स्तम्भों द्वारा सीमाकंन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जाएगा। यह सीमांकन 4 फीट ऊंचे आर.सी.सी. पीलरों से किया जाएगा। जिसमें प्रत्येक पीलर पर क्रमांक डी.जी.पी.एस. निर्देशाक, Backward and Forward bearing एवं अपने निकटवर्ती पीलरों से दूरी दर्शायी जाएगी।
7	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेंगे कि आई0आर0सी0 के मानकों के अनुरूप तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) सैन्ट्रल जोन बेंच, भोपाल द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 27/2015 बाबूलाल जाजू बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक 16.11.2015 में दिये गये आदेश की अनुपालना मे प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर वन विभाग की निगरानी में सड़क के दोनों तरफ तथा Median पर (यदि उपलब्ध है तो) वृक्षारोपण किया जाएगा।	माननीय NGT द्वारा जारी आदेश की अनुपालना प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर करवाये जाने के लिये प्रयोक्ता अभिकरण वचन बद्ध है।
8	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना स्वीकृति हेतु संलग्नहै।
9	प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य मे योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान तथा भविष्य में योजना पर लागु सभी नियम कानुन तथा दिशा निर्देशो का पालन के लिए वचन बद्ध है ।

अतः अनुरोध है कि प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ काटने के पश्चात् भण्डारण हेतु डिपो व कार्य शुरू करने की अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें। जिससे परियोजना के कार्य को पूर्ण किया जा सके।

भवदीय

Sharma

(संगीता शर्मा)
परियोजना निदेशक–II (पीपीपी)
जयपुर पी.डब्ल्यू.डी. राजस्थान

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अतिरिक्त वनमहानिदेशक एफ.सी. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नई दिल्ली – 110003.
2. निदेशक (आर.ओ.एच.क्यू.), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड नयी दिल्ली–110003.
3. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, (वन संरक्षण), वन विभाग, अरण्य भवन, झालना इंस्टीट्यूशनल एरिया, जयपुर राजस्थान।
4. अधीक्षण अभियंता एवं परियोजना निदेशक (पी.पी.पी.) लक्ष्मणगढ लोक निर्माण विभाग, जयपुर राजस्थान।
5. उप वन संरक्षक, नागौर, राजस्थान।
6. तकनीकी अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाईट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित ।

(संगीता शर्मा)
परियोजना निदेशक–II (पीपीपी)
जयपुर पी.डब्ल्यू.डी. राजस्थान

5

AGENCY COPY

कार्पोरेशन बैंक Corporation Bank
A Premier Public Sector Bank

Challan for collection of Ad-hoc CAMPA fund

Date : 16-11-2017

Client Code.	CAM5085
Location.	RAJASTHAN
Remitter Name.	PWD JAIPUR
PIF/Application No.	6121211176
Address.	Jakob Road-1, Civil lines, Jaipur Jaipur
Remitter Contact No. Email-Id. Mobile No. Landline No.	 pd2pppjaipur@gmail.com 8696666778 141-5110547
Amount(in Rs)	59456858/-
Beneficiary Branch and Code.	FCS Branch (0633)

Amount in Words:Five Crore Ninety-Four Lakh Fifty-Six Thousand Eight Hundred and Fifty-Eight Rupees Only

Depositor Signature (Signature) Bank Official (Signature)

Bank's Transaction Number	Branch Stamp

- Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction
- Challan should only be accepted against INST/DD.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2

CAMPA-MOEF Copy

कार्पोरेशन बैंक Corporation Bank
A Premier Public Sector Bank

Challan for collection of Ad-hoc CAMPA fund

Date : 16-11-2017

Client Code.	CAM5085
Location.	RAJASTHAN
Remitter Name.	PWD JAIPUR
PIF/Application No.	6121211176
Address.	Jakob Road-1, Civil lines, JaipurJaipur
Remitter Contact No. Email-Id. Mobile No. Landline No.	 pd2pppjaipur@gmail.com 8696666778 141-5110547
Amount(in Rs)	59456858/-
Beneficiary Branch and Code.	FCS Branch (0633)

Amount in Words :Five Crore Ninety-Four Lakh Fifty-Six Thousand Eight Hundred and Fifty-Eight Rupees Only

Depositor Signature (Signature) Bank Official (Signature)

Bank's Transaction Number	Branch Stamp

- Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction.
- Challan should only be accepted against INST/DD.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2

BANK COPY

कार्पोरेशन बैंक Corporation Bank
A Premier Public Sector Bank

Challan for collection of Ad-hoc CAMPA fund

Date : 16-11-2017

Client Code.	CAM5085
Location.	RAJASTHAN
Remitter Name.	PWD JAIPUR
PIF/Application No.	6121211176
Address.	Jakob Road-1, Civil lines, JaipurJaipur
Remitter Contact No. Email-Id. Mobile No. Landline No.	 pd2pppjaipur@gmail.com 8696666778 141-5110547
Amount(in Rs)	59456858/-
Beneficiary Branch and Code.	FCS Branch (0633)

Amount in Words : Five Crore Ninety-Four Lakh Fifty-Six Thousand Eight Hundred and Fifty-Eight Rupees Only

Depositor Signature (Signature) Bank Official (Signature)

Bank's Transaction Number	Branch Stamp

- Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction.
- Challan should only be accepted against INST/DD.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

भारतीय स्टेट बैंक
State Bank of India

जारी करने वाली शाखा
Issuing Branch:JAIPUR PWD COMPLEX
कोड क्र /CODE No: 31820
Tel No. 01410-222194

बैंकर्स चैक
BANKERS CHEQUE

Key: PAMGAP
Sr. No: 173779

2	8	1	1	2	0	1	7
D	D	M	M	Y	Y	Y	Y

PAY ~~CORPORATION BANK F C S BANGALORE~~****************************** ~~को या उनके आदेश पर~~ OR ORDER

रुपये RUPEES ~~Five Crore Ninety Four Lakh Fifty Six Thousand Eight Hundred and Fifty Eight Only~~

अदा करें ₹ 59456858.00

IOI 000497681615 Key: PAMGAP Sr. No: 173779 AMOUNT BELOW 59456859(5/8)

कृते भारतीय स्टेट बैंक
For STATE BANK OF INDIA

6963188
प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
AUTHORISED SIGNATORY

2432
शाखा प्रबंधक
BRANCH MANAGER

9 8 7 6 5 4 3 2 1

अहस्तांतरणीय / NOT TRANSFERABLE

कम्प्यूटर द्वारा मुद्रित होने पर ही वैध
VALID ONLY IF COMPUTER PRINTED

केवल 3 महीने के लिए वैध
VALID FOR 3 MONTHS ONLY

₹ 1,50,000/- एवं अधिक के लिखत दो अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित होने पर ही वैध है।
INSTRUMENTS FOR ₹ 1,50,000/- & ABOVE ARE NOT VALID UNLESS SIGNED BY TWO OFFICERS

MANIPAL TECHNOLOGIES LIMITED, KARNATAKA / CTS-2010

⑈681615⑈ 000002000⑆ 000497⑈ 16

96

कार्यालय परियोजना निदेशक–II (पीपीपी) जयपुर पी.डब्ल्यू.डी. राजस्थान

क्रमांक :Tarnau-Mukundgarh/Forest/PDII/D-64 दिनांक : **30.11.2017**

श्रीमान् राजेन्द्र कुमार हुड्डा,
उपवन संरक्षक,
वन भवन, सांवली रोड़, सीकर – 332001

विषय :– Diversion of 84.248 Ha. (74.598 ha. N Nagaur and 9.65 ha. in Sikar) of forest land in favour of PWD Rajasthan Jaipur for development of Tarnau-Deedwana-Laxmangarh-Mukundgarh Section of SH 60, SH-20, SH-83, SH-82A, SH-8 from desing chainage from Tarnau to Mukundgarh 39.668 Km. to 205.300 Km. in Nagaur and Sikar District (Rajasthan) Online Proposal No. FP/RAJ/OTHER/21211/2016 **(सीकर, में डायर्वटेड वन भूमि में पेड़ काटने व कार्य शुरू करने की अनुमति हेतु)**

संदर्भ :– (i) आपके कार्यालय का पत्रांक– 18594 दिनांक 13.11.2017 (सीकर में 9.65 है0 वन भूमि का डायवर्जन)

(ii) क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार का सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र पत्रांक– 8बी/राज./06/22/2017/एफ.सी./574 दिनांक 06.11.2017

महोदय,

उपरोक्त संदर्भ में बिन्दु वार अनुपालना/वचन बद्धता प्रस्तुत हैं

क्रं. सं.	शर्त	अनुपालना
1	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही होगा।	वनभूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही होगा।
2	जनपद नागौर के अन्तर्गत प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के अन्तर्गत प्रभावित वन क्षेत्र के दुगुने अवनत वनभूमि पर अर्थात् 149.196 है0 (74.598x2=149.196) है0 पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के अन्तर्गत प्रभावित वन क्षेत्र के दुगुने अवनत वनभूमि पर अर्थात् 115. 556 है0 (74.598x2=149.196) है0 पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि रूपये 1,92,46,284, कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की करा दी गई है। डी.डी. नं. 681615 एस.बी.आई. दिनांक 28.11.2017 कुल रू. 59456858/–

3	जनपद सीकर के अन्तर्गत प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वनभूमि अर्थात् 9.65 है0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जाएगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर की है। इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा तथा इस भूमि को छः माह में आरक्षित/संरक्षित वन भूमि घोषित किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् इस कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	जनपद सीकर के अन्तर्गत प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वनविभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वनभूमि अर्थात् 9.65 है0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि रूपये 14,95,750 (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथा संशोधित) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा करा दी गई है। डी.डी. नं. 681615 एस.बी.आई. दिनांक 28.11.2017 कुल रू. 59456858/- इसे वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण कर दिया जायेगा ।
4	एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत् मे दिये गये आदेशानुसार शुद्ध मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) कैम्पा नई दिल्ली में जमा की जाएगी। इसके उपरांत ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से जमा की गयी धनराशि की ऑनलाईन ई-रसीद की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन संख्या आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मद्वार विवरण अर्थात क्षतिपूरक वृक्षारोपण, एन0पी0वी0 हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।	भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत् मे दिये गये आदेशानुसार शुद्ध मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि रूपये 32673924 कैम्पा नई दिल्ली में जमा कर दी गई है। डी.डी. नं. 681615 एस.बी.आई. दिनांक 28.11.2017 कुल रू. 59456858/- A) कुल जमा की गई राशि का विवरण निम्न प्रकार है- नागौर के संदर्भ में जमा राशि क्षतिपूरक वृक्षारोपण = रू. 1,92,46,284/- एन.पी.वी. की राशि = रू. 3,26,73,924/- कुल राशि डी.सी.एफ. नागौर के संदर्भ में = रू. 5,19,20,208/- (B) सीकर के संदर्भ में जमा राशि क्षतिपूरक वृक्षारोपण = रू. 14,95,750/- एन.पी.वी. की राशि = रू. 60,40,900/- कुल राशि डी.सी.एफ. सीकर के संदर्भ में = रू. 75,36,650/- **अतः कुल राशि कैम्पा में जमा** = रू. 5,19,20,208 + रू. 75,36,650 = रू. **5,94,56,858/-** डी.डी. नं. 681615 एस.बी.आई. दिनांक 28.11.2017 कुल रू. 59456858/-
5	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की धनराशि में बढ़ोतरी होती है तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।	यदि भविष्य में एन. पी. वी. राशि की दर में कोई बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई दर में वांछित धनराशि जमा करने के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता अभिकरण) वचन बद्ध है।

6	विधिवत स्वीकृति के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र की सीमा स्तम्भों द्वारा सीमाकंन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जाएगा। यह सीमांकन 4" फीट ऊंचे आर.सी.सी. पीलरी से किया जाएगा। जिसमें प्रत्येक पीलर पर क्रमांक डी.जी.पी.एस. निर्देशाक, Backward and Forward bearing एवं अपने निकटवर्ती पीलरों से दूरी दर्शायी जाएगी।	विधिवत स्वीकृति के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र की सीमा स्तम्भों द्वारा सीमाकंन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जाएगा। यह सीमांकन 4 फीट ऊंचे आर.सी.सी. पीलरों से किया जाएगा। जिसमें प्रत्येक पीलर पर क्रमांक डी.जी.पी.एस. निर्देशाक, Backward and Forward bearing एवं अपने निकटवर्ती पीलरों से दूरी दर्शायी जाएगी।
7	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेंगे कि आई0आर0सी0 के मानकों के अनुरूप तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) सैन्ट्रल जोन बेंच, भोपाल द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 27/2015 बाबूलाल जाजू बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक 16. 11.2015 में दिये गये आदेश की अनुपालना मे प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर वन विभाग की निगरानी में सड़क के दोनों तरफ तथा Median पर (यदि उपलब्ध है तो) वृक्षारोपण किया जाएगा।	माननीय NGT द्वारा जारी आदेश की अनुपालना प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर करवाये जाने के लिये प्रयोक्ता अभिकरण वचन बद्ध है।
8	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना स्वीकृति हेतु संलग्नहै।
9	प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य मे योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान तथा भविष्य में योजना पर लागु सभी नियम कानुन तथा दिशा निर्देशो का पालन के लिए वचन बद्ध है ।

अतः अनुरोध है कि प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ काटने के पश्चात् भण्डारण हेतु डिपो व कार्य शुरू करने की अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें। जिससे परियोजना के कार्य को पूर्ण किया जा सके।

भवदीय

(संगीता शर्मा)
परियोजना निदेशक–II (पीपीपी)
जयपुर पी.डब्ल्यू.डी. राजस्थान

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अतिरिक्त वनमहानिदेशक एफ.सी. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नई दिल्ली – 110003.
2. निदेशक (आर.ओ.एच.क्यू.), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड नयी दिल्ली–110003.
3. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, (वन संरक्षण), वन विभाग, अरण्य भवन, झालना इंस्टीट्यूशनल एरिया, जयपुर राजस्थान।
4. अधीक्षण अभियंता एवं परियोजना निदेशक (पी.पी.पी.) लक्ष्मणगढ लोक निर्माण विभाग, जयपुर राजस्थान।
5. उप वन संरक्षक, सीकर, राजस्थान।
6. तकनीकी अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाईट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित ।

(संगीता शर्मा)
परियोजना निदेशक–II (पीपीपी) जयपुर
पी.डब्ल्यू.डी. राजस्थान

Project Name: -Development of Tarnau-Deedwana-Laxmangarh-Mukundgarh section SH-60,SH-20,SH-82A & SH-8 from design chainage km 39.668 to km 205.300 of SH-60 in the state of Rajasthan in Nagaur

MUCK MANAGEMENT PLAN

Although in this project no muck shall generated but earthwork in excavation for drain and structure may contain some organic soil which cannot be reutilized completely therefore that needs to be disposed off properly.

As per the existing proposal for the construction of Tarnau-Deedwana-Laxmangarh-Mukundgarh road project about 62999 m^3 of muck shall be generated. The total quantity of muck to be generated considering 40% swelling factor is m^3. The quantity of material to be used in construction or protection works is 88198 m^3. Hence the balance quantity of muck to be disposed off shall be about 5514 m^3 only. The details are as per Table-1 below.

TABLE-1

Details of muck generation, utilization and disposal

S.No.	Name of Component	Qty. Of muck debris generated considering 40% as swelling	Qty. to be used as backfill (m^3)	Qty. to be used in construction or protection works (m^3)	Qty. of Muck for disposal (m^3)
1	Culverts	4229	-	2326	1903
2	Major Bridges/Minor Bridges	-	-	-	-
3	Protection & Drain Works	12648	-	9037	3611
4	Roadway Excavation	71321	-	71321	-
	Total	88198	-	82684	5514

10

Project Name: -Development of Tarnau-Deedwana-Laxmangarh-Mukundgarh section SH-60,SH-20,SH-82A & SH-8 from design chainage km 39.668 to km 205.300 of SH-60 in the state of Rajasthan

Normally, muck is disposed in low-lying areas or depressions. However, we have identified following low lying two areas of 1.40 ha for disposal of muck. The details are asper Table-2 below.

TABLE-2

Details of muck disposal site

Component	Village	Govt. / Private land (ha)	TotalLand(ha)
Muck disposal Site M-1	Deedwana	1.40	1.40
	Total	**1.40**	**1.40**

The dumping of muck will be done in such a manner that muck will not flow and washed away in the river.

BUDGET

The Concessionaire will transport & dump the muck at their own cost.

UNDERTAKING

We undertake that

1. Muck management plan shall be implemented by user agency.
2. The proposed dumping site is located away from river / stream / nalah.
3. Dumping site is not located in forest area.

Enclosed : Muck Disposal Plan

For Nagaur Mukundgarh Highways Private Limited

Authorised Signatory

11

Project Name: -Development of Tarnau-Deedwana-Laxmangarh-Mukundgarh section SH-60,SH-20,SH-82A & SH-8 from design chainage km 161.675 to km 162.975, km 170.410 to km 172.010 & km 190.300 to km 191.000 in the state of Rajasthan in Sikar

MUCK MANAGEMENT PLAN

Although in this project no muck shall generated but earthwork in excavation for drain and structure may contain some organic soil which cannot be reutilized completely therefore that needs to be disposed off properly.

As per the existing proposal for the construction of Tarnau-Deedwana-Laxmangarh-Mukundgarh road project about 9631 m^3 of muck shall be generated. The total quantity of muck to be generated considering 40% swelling factor is m^3. The quantity of material to be used in construction or protection works is 13484 m^3. Hence the balance quantity of muck to be disposed off shall be about 2124 m^3 only. The details are as per Table-1 below.

TABLE-1

Details of muck generation, utilization and disposal

S.No.	Name of Component	Qty. Of muck debris generated considering 40% as swelling	Qty. to be used as backfill (m^3)	Qty. to be used in construction or protection works (m^3)	Qty. of Muck for disposal (m^3)
1	Culverts	-	-	-	-
2	Major Bridges/Minor Bridges	-	-	-	-
3	Protection & Drain Works	1260	-	844	416
4	Roadway Excavation	12224	-	10516	1708
	Total	13484	-	11360	2124

12

Project Name: -Development of Tarnau-Deedwana-Laxmangarh-Mukundgarh section SH-60,SH-20,SH-82A & SH-8 from design chainage km 161.675 to km 162.975, km 170.410 to km 172.010 & km 190.300 to km 191.000 in the state of Rajasthan

Normally, muck is disposed in low-lying areas or depressions. However, we have identified following low lying two areas of 0.50 ha for disposal of muck. The details are asper Table-2 below.

TABLE-2

Details of muck disposal site

Component	Village	Govt. / Private land (ha)	Total Land (ha)
Muck disposal Site M-1	Laxmangarh	0.50	0.50
	Total	**0.50**	**0.50**

The dumping of muck will be done in such a manner that muck will not flow and washed away in the river.

BUDGET

The Concessionaire will transport & dump the muck at their own cost.

UNDERTAKING

We undertake that

1. Muck management plan shall be implemented by user agency.
2. The proposed dumping site is located away from river / stream / nalah.
3. Dumping site is not located in forest area.

Enclosed : Muck Disposal Plan

For Nagaur Mukundgarh Highways Private Limited

Authorised Signatory

13

77

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) ... न, जयपुर

क्रमांकः एफ14( )2016/नागौर–सीकर/एफसीए/प्रमुवसं/ 4438 दिनांकः 6.12.17

अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय)
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षैत्रीय कार्यालय (मध्यक्षैत्र)
पंचम तल, केन्द्रीयभवन, सेक्टर–एच,
अलीगंज, लखनऊ –226024 (उ0प्र0)

विषयः–Diversion of 84.248 ha (74.598 ha in Nagaur and 9.65 ha in Sikar) of forest land in favour of Executive Engineer-II PPP all PWD, Jaipur for development of Tarnav-Deedwana-Laxmangarh-Mukandgarh sec. of SH 60, SH 20, SH 83, SH 82 A, SH 8 from design Chainage from Tarnav-Mukandgarh 39.668 KM to 205.300 KM in Nagaur and Sikar District, Raj.

संदर्भः–आपके कार्यालय का पत्र सं. 8 बी/राज/06/22/2017/एफसी/574 दि. 06.11.17 P.74/c

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके उक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रकरण में जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति के साथ अधिरोपित की गई शर्तो की पालना रिपोर्ट उप वन संरक्षक, नागौर ने अपने पत्रांक 5276 दिनांक 5.12.17 (प्रति संलग्न) द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित की है, जो कि निम्नानुसार हैः–

क्र. सं.	सैद्धान्तिक स्वीकृति के साथ लगायी गयी शर्तें	पालना रिपोर्ट
1.	वनभूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
2.	जनपद नागौर के अन्तर्गत प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के अन्तर्गत प्रभावित वनक्षेत्र के दुगुने अवनत वनभूमि पर अर्थात 149.196 है0 (74.598 X2 =149.196) पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) केम्पा, नई दिल्ली में जमा की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग के पक्ष में क्षतिपूरक वृक्षारोपण वनक्षेत्र के दुगुने अवनत वनभूमि एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि रूपये 1,92,46,284/– ई–चालान द्वारा कॉर्पोरेशन बैंक, बैंगलोर के मार्फत एडहॉक केम्पा खाता नई दिल्ली में जमा करा दी गई है। चालान की प्रति संलग्न है।
3.	जनपद सीकर के अन्तर्गत प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वनक्षेत्र के समतुल्य गैर वनभूमि अर्थात 9.65 है0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) केम्पा, नई दिल्ली में जमा की जाएगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर की है। इसे वन विभाग के पक्ष में	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जनपद सीकर में प्रभावित वनक्षेत्र के समतुल्य गैर वनभूमि अर्थात 9.65 है0 क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि रूपये 14,95,750/– (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) केम्पामद में जमा करा दी गई है। जमा राशि के बैंक सत्यापन रिपोर्ट की प्रति संलग्न है। डायवर्जन हेतु प्रस्तावित वनभूमि के समतुल्य गैर

–PTO

	हस्तांतरण एवं नामांतरण किया जायेगा तथा इस भूमि को छः माह में आरक्षित/संरक्षित वनभूमि घोषित किया जायेगा। भूमि का हस्तांतरण एवं नामांतरण करने के पश्चात इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	वनभूमि 9.65 है0 जिला कलक्टर, सीकर के आदेश क. 5616–19 दि. 1.12.17 द्वारा वन विभाग को आवंटित कर दी गई है तथा भूमि का वन विभाग के नाम नामांतरण तहसीलदार, नीमकाथाना द्वारा किया जा चुका है। प्रति संलग्न है।
4.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. सं. 566 एवं भारत सरकार के पत्रांक 5–3/2007–एफसी दि. 5.2.09 के तहत में दिये गये आदेशानुसार एन.पी.वी. की निर्धारित राशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) केम्पा, नई दिल्ली में जमा की जाएगी। इसके उपरांत ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से जमा की गयी धनराशि की ऑनलाईन ई–रसीद की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात एनपीवी, सीए हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) प्रेषित की जाए, तदोपरांत ही प्रकरण में विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।	नागौर वनमण्डल में प्रस्तावित वनभूमि 74.598 है0 की एन.पी.वी राशि रूपये 3,26,73,924/– ई–चालान द्वारा कॉर्पोरेशन बैंक, बैंगलोर के मार्फत एडहॉक केम्पा खाता नई दिल्ली में जमा करा दी गई है। चालान की प्रति संलग्न है। सीकर वनमण्डल में 9.65 है0 वनभूमि की एन.पी.वी राशि रूपये 60,40,900/– जमा करा दी गई है। जमा राशि के बैंक सत्यापन रिपोर्ट की प्रति संलग्न है। मदवार जमा की गई राशि का विवरण प्रपत्र (12 कॉलम) संलग्न है।
5.	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की धनराशि में बढोतरी होती है तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।	इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
6.	विधिवत स्वीकृति के बाद प्रस्तावित वनक्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जावेगा। यह सीमांकन 4'' फीट उंचे आरसीसी पिलर का किया जाएगा। जिसमें प्रत्येक पिलर पर कमांक, डीजीपीएस निर्देशांक, Backword and Forword bearing एवं अपने निकटवर्ती सीमा स्तम्भों से दूरी दर्शायी जाएगी।	इस आशय का वचनबद्धता पत्र यूजर एजेंसी से प्राप्त कर लिया गया है, जो संलग्न है।
7.	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेंगे कि आईआरसी के मानकों के अनुरूप तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, सैंट्रल जोन बेंच, भोपाल द्वारा प्रार्थना पत्र सं. 27/2015 बाबूलाल जाजू बनाम राजस्थान सरकार में दि. 16.11.15 में दिये गये आदेश की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर वन विभाग की निगरानी में सड़क के दोनों तरफ तथा	माननीय एनजीटी के आदेश की अनुपालना प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर करवाये जाने के लिए प्रयोक्ता अभिकरण वचनबद्ध है। इस आशय का वचनबद्धता पत्र उक्त दोनों वनमण्डलों ने यूजर एजेंसी से प्राप्त कर लिया गया है, जो संलग्न है।

Scanned with CamScanner

79

	Median पर (यदि उपलब्ध है तो) वृक्षारोपण किया जाएगा।	
8.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मक डिस्पोजल योजना उप वन संरक्षक, नागौर एवं सीकर से स्वीकृत करा प्रति संलग्न है। (प्रति संलग्न)
9.	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालना करेगी।	इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचनबद्धता प्रमाण संलग्न है।
10.	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना प्रेषित करते हुए संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन के विषय में सूचना/प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।	डायवर्जन हेतु प्रस्तावित 84.248 है0 वनभूमि में से 3.3 है0 वनभूमि में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन हुआ है जिसको प्रस्ताव में शामिल कर लिया गया है। शेष वनभूमि पर कोई वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं हुआ है। उप वन संरक्षक, नागौर एवं सीकर का प्रमाण पत्र संलग्न है।

उक्तानुसार सैद्धान्तिक स्वीकृति की समस्त शर्तो की पालना हो चुकी है। अतः उक्त प्रकरण में वनभूमि प्रत्यावर्तन की विधिवत स्वीकृति जारी करने का कष्ट करें।

संलग्नः– उक्तानुसार ।

भवदीय,

(ए.के. सिंह)
अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एंव नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान, जयपुर
दूरभाष कार्यालय–01412713759, मो.नं. 9414059146

क्रमांकः एफ14( )2016/नागौर–सीकर/एफसीए/प्रमुवसं/ 4439-42 दिनांकः 6.12.17

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

1. शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
2. अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जयपुर संभाग, अरावली भवन, जयपुर।
3. मुख्य वन संरक्षक, अजमेर ।
4. परियोजना निदेशक-II (पीपीपी), सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।

अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एंव नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान, जयपुर

Scanned with CamScanner

(2)

89

कार्यालय उप वन संरक्षक, वन भवन, सांवली रोड, सीकर 332001

क्रमांक एफ ( ) एफसीए/ उवसंसी/ 2017–18/ दिनांक

निमितः–

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
अरावली भवन,
जयपुर।

विषय :– Diversion of 84.248 Ha. (74.598 ha. In Nagaur and 9.65 ha. In Sikar) of forest land in favour of Executive Engineer-II, PPP cell PWD Jaipur for development of Tarnau-Deedwana-Laxmangarh-Mukundgarh Section of SH 60, SH-20, SH-83, SH-82A, SH-8 from desing chainage from Tarnau to Mukundgarh 39.668 Km. to 205.300 Km. in Nagaur and Sikar District (Rajasthan) Online Proposal No. FP/RAJ/OTHER/21211/2016

संदर्भ :– वन संरक्षक (केन्द्रीय) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) भारत सरकार का सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्रांक– 8वी/राज./06/22/2017/एफ.सी./574 दिनांक 06.11.2017

P.74/C

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि आलौच्य प्रकरण में भारत सरकार के संदर्भित पत्र द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की बिन्दुवार अनुपालना रिपोर्ट निम्नानुसार श्रीमान को प्रस्तुत है।

क्रं. सं.	शर्त	अनुपालना
1	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण पी.डी0–II (पीपीपी) पीडब्ल्यूडी, जयपुर के पत्रांक डी–64 दिनांक 30.11.2017 की प्रति सलग्न है ।
2	जनपद नागौर के अन्तर्गत प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के अन्तर्गत प्रभावित वन क्षेत्र के दुगुने अवनत वनभूमि पर अर्थात् 149.196 है0 (74.598x2=149.196) है0 पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जाएगी।	शर्त संख्या 02 नागौर वन मण्डल से संबंधित है।
3	जनपद सीकर के अन्तर्गत प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वनभूमि अर्थात् 9.65 है0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जाएगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर की है। इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा तथा इस भूमि को छः माह में आरक्षित/संरक्षित वन भूमि घोषित किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् इस कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वनभूमि अर्थात् 9.65 है0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि रूपये 14,95,750/– प्रचलित दरों को समाहित करते हुए कैम्पा मद में जमा करवा दी गई है। जमा राशि के बैंक सत्यापन रिपोर्ट की प्रति संलग्न है। डाईवर्जन हेतु प्रस्तावित वन भूमि के समतुल्य गैर वन भूमि 9.65 है0 जिला कलक्टर, सीकर के आदेश क्रमांक 5616–19 दिनांक 01.12.2017 द्वारा वन विभाग को आंवटित कर दी गई है तथा भूमि का वन विभाग के नाम नामान्तरकरण तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा किया जा चुका है (प्रति संलग्न)।

163

F:/mahendra / letter 2

Scanned with CamScanner

4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटिशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत् दिये गये आदेशानुसार शुद्ध मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) कैम्पा नई दिल्ली में जमा की जाएगी। इसके उपरांत ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से जमा की गयी धनराशि की ऑनलाईन ई-रसीद की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन संख्या आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात क्षतिपूरक वृक्षारोपण, एन0पी0वी0 हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।	शर्त की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन मण्डल, सीकर के संदर्भ में 9.65 है0 X 626000 रूपये प्रति हैक्टर की दर से शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की राशि 6040900/- जमा करवा दिये गये है। जमा राशि के बैंक सत्यापन रिपोर्ट की प्रति संलग्न है। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन मण्डल सीकर में प्रस्तावित 9.65 है0 वन भूमि के पेटे जमा करवाई गई धन राशि का मदवार विवरण निम्नानुसार है:- क्षतिपूरक वृक्षारोपण = रू. 14,95,750/- एन.पी.वी. की राशि = रू. 60,40,900/- कुल राशि = रू. 75,36,650/-
5	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की धनराशि में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।	शर्त संख्या 05 की पालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यदि भविष्य में एन. पी. वी. राशि की दर में कोई बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई दर में वांछित धनराशि जमा कराने के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता अभिकरण) वचन बद्ध है, का पत्र संख्या डी-64 दि. 30.11.2017 संलग्न है।
6	विधिवत स्वीकृति के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र की सीमा स्तम्भों द्वारा सीमाकंन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जाएगा। यह सीमांकन 4" फीट ऊंचे आर.सी.सी. पीलरी से किया जाएगा। जिसमें प्रत्येक पीलर पर क्रमांक डी.जी.पी.एस. निर्देशाक, Backward and Forward bearing एवं अपने निकटवर्ती पीलरों से दूरी दर्शायी जाएगी।	शर्त संख्या 06 की पालना में प्रयोक्ता अभिकरण प्रयोजना निदेशक-II (पीपीपी) पी.डब्ल्यू.डी जयपुर का पत्र संख्या डी-64 दि. 30.11.2017 संलग्न है।
7	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेंगे कि आई0आर0सी0 के मानकों के अनुरूप तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) सैन्ट्रल जोन बेंच, भोपाल द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 27/2015 बाबूलाल जाजू बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक 16.11.2015 में दिये गये आदेश की अनुपालना मे प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर वन विभाग की निगरानी में सडक के दोनों तरफ तथा Median पर (यदि उपलब्ध है तो) वृक्षारोपण किया जाएगा।	शर्त संख्या 07 की पालना में माननीय NGT द्वारा जारी आदेश की अनुपालना प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर करवाये जाने के लिये प्रयोक्ता अभिकरण वचन बद्ध है। प्रयोक्ता अभिकरण का पत्र संख्या डी-64 दि. 30.11.2017 संलग्न है।
8	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।	शर्त संख्या 08 की पालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मक डिस्पोजल योजना संलग्न है।
9	प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य मे योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।	शर्त संख्या 09 की पालना में प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान तथा भविष्य में योजना पर लागु सभी नियम कानुन तथा दिशा निर्देशो का पालन के लिए वचन बद्ध है । प्रयोक्ता अभिकरण का पत्र संख्या डी-64 दि. 30.11.2017 संलग्न है।
10	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना प्रेषित करते हुये संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लघंन के विषय में सूचना/प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगें।	डाईवर्जन हेतु प्रस्तावित 9.65 है0 वन भूमि में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा कार्य प्रारम्भ नही किया गया है। जिससे प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नही हुआ है।

कृपया प्रकरण में भारत सरकार से विधिवत् स्वीकृति जारी करवाने का कष्ट करे।

संलग्नः-उपरोक्तानुसार

भवदीय

(राजेन्द्र कुमार हुड्डा)
उप वन संरक्षक,
सीकर
दिनांक : 5/12/17

क्रमांक : सम/ 19716-17
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है:-

1. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी, एफसीए, राजस्थान जयपुर।
2. परियोजना निदेशक-II (पीपीपी) पी.डब्ल्यू.डी. राजस्थान, जयपुर।

(राजेन्द्र कुमार हुड्डा)
उप वन संरक्षक,
सीकर

F:/mahendra / letter 2

Scanned with CamScanner